



Ushr Ke Ahkaam (Hindi)

काश्तकारों के लिये एक राहनुमा तहरीर

उशर के अहकाम

(ज़मीनी पैदावार की ज़कात के मसाइल)



- उशर किसे कहते हैं ? 8 ● उशर देने की फ़र्मीलत 8 ● उशर किस पैदावार पर याजिब है ? 11
● उशर कब और किसे दिया जाए ? 18, 22 ● उशर देने का तरीका 18 ● दा'यते इस्लामी की इल्कियां 29



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि रज़वी عَلَيْهِ السَّلَامُ

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَادْنُ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

तरजमा : ऐ अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इल्मो हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अज़मत और बुजुर्गी वाले।

(المستطرف ج ١ ص ٤٠ دارالفكر بيروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरुद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

तालिबे ग़मे मदीना
व बकीअ
व मग़फ़रत



13 शब्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

क्रियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : सब से ज़ियादा हसरत क्रियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया)। (تاريخ دمشق لابن عسلكر ج ٥١ ص ٣٨٨ دارالفكر بيروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की त़बाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो मक्ताबतुल मदीना से रुजूअ फ़रमाइये।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला "उ़श्र के अहकाम"

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने उर्दू ज़बान में मुरतब किया है। मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअए मक्तूब, E-mail या SMS) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

हुरूफ़ की पहचान

फ = ف	प = پ	भ = ب	ब = ب	अ = ا
स = س	ठ = ث	ट = ت	थ = ث	त = ت
ह = ح	छ = ح	च = ج	झ = ج	ज = ج
ढ = د	ड = د	ध = د	द = د	ख़ = خ
ज़ = ز	ढ़ = د	ड़ = د	र = ر	ज़ = ز
ज़ = ض	स = ص	श = ش	स = س	ज़ = ج
फ़ = ف	ग़ = غ	अ़ = ع	ज़ = ج	त = ط
घ = گ	ग = گ	ख = ک	क = ک	क़ = ق
ह = ه	व = و	न = ن	म = م	ल = ل
ई = ی	इ = ا	ऐ = ا	ए = ا	य = ی

राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन

दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, गुजरात

MO. 98987 32611 • E-mail : hindibook@dawateislamihind.net

काश्त कार इस्लामी भाइयों के लिये एक राहनुमा तहरीर

उशर के अहकाम

(जमीन की जकात के मसाइल)

पेशकश

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

(शो 'बए इस्लाही कुतुब)

नाशिर

मक्तबतुल मदीना (अहमदआबाद)

الصلوة والسلام على من بعثه الله
وعلى آله وصحبه وسلم

जुम्ला हुकूक बहक्के नाशिर महफूज हैं

- नाम किताब : उ़र के अहकाम (जमीन की ज़कात के मसाइल)
 पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या
 (शो'बए इस्लाही कुतुब)
 सिने त्बाअत : मई 2019 ई.
 नाशिर : मक्तबतुल मदीना अहमदआबाद

मक्तबतुल मदीना की मुख्तलिफ़ शाखें

- मुम्बई : 19, 20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफ़िस के
 सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429
 देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ मस्जिद, देहली
 फ़ोन : 011-23284560
 नागपुर : मुहम्मद अली सराय रोड (C / 0) जामिअतुल मदीना,
 कमाल शाह बाबा दरगाह के पास, मोमिनपुरा, नागपूर
 फ़ोन : 0712 -2737290
 अजमेर शरीफ़ : 19 / 216 फ़लाहे दारैन मस्जिद के क़रीब, नला बाज़ार,
 स्टेशन रोड, दरगाह, : (0145) 2629385
 हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्पलेक्स, A.J. मुढोल रोड, ब्रीज के
 पास, हुब्ली - 580024. फ़ोन : 09343268414
 हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद
 फ़ोन : 040-24572786

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
مَا بَعُدَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अल मदीनतुल इल्मिय्या

अज : शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी

हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ الْعَالِيَهُ جِيّارِي رَجَوِي

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَبِفَضْلِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक “दा'वते इस्लामी” नेकी की दा'वत, एहयाए सुन्नत और इशाअते इल्मे शरीअत को दुन्या भर में आ़म करने का अज़मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्नो ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअद्द मजालिस का क़ियाम अमल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस “अल मदीनतुल इल्मिय्या” भी है जो दा'वते इस्लामी के उ-लमा व मुफ़्तयाने किराम كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ पर मुशतमिल है, जिस ने ख़ालिस इल्मी, तहकीकी और इशाअती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए जैल छ^० शो'बे हैं :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| (1) शो'बए कुतुबे आ'ला हज़रत | (2) शो'बए तराजिमे कुतुब |
| (3) शो'बए दर्सी कुतुब | (4) शो'बए इस्लाही कुतुब |
| (5) शो'बए तफ़्तीशे कुतुब | (6) शो'बए तख़रीज |

“अल मदीनतुल इल्मिय्या” की अक्वलीन तरजीह सरकारे आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिद्अत, आ़लिमे शरीअत, पीरे तरीक़त, बाइसे ख़ैरो बरकत, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज

अल हाफ़िज़ अल क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की गिरां मायह तसानीफ़ को अ़से हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक़ हत्तल वस्अ सहल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इल्मी, तहक़ीकी और इशाअती मदनी काम में हर मुम्किन तआवुन फ़रमाएं और मजलिस की तरफ़ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी मुतालाआ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ “दा'वते इस्लामी” की तमाम मजालिस ब शुमूल “अल मदीनतुल इल्मिय्या” को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक्की अता फ़रमाए और हमारे हर अमले ख़ैर को ज़ेवरे इख़लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें ज़ेरे गुम्बदे ख़ज़रा शहादत, जन्नतुल बक़ीअ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए।

اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

पेश लफ़्ज

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो !

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक “दा’वते इस्लामी” की मजलिस “अल मदीनतुल इल्मिय्या” (शो’बए इस्लाही कुतुब) की तरफ़ से मुख़्तलिफ़ मौजूआत पर अब तक दरजनों किताबें और रसाइल अ़वामे अहले सुन्नत की ख़िदमत में पेश किये जा चुके हैं। फ़िल वक़्त फ़िक्ही मौजूअ़ पर मुशतमिल रिसाला “उ़श्र के अहकाम (पैदावारे ज़मीन की ज़कात के मसाइल)” आप के सामने है। इस मुख़्तसर रिसाले में उ़श्र से मुतअल्लिक़ उन तमाम मसाइल का इहाता करने की कोशिश की गई है जिन की ज़रूरत काशत कार इस्लामी भाइयों को पेश आ सकती है।

इस रिसाले को न सिर्फ़ खुद पढिये बल्कि दूसरे इस्लामी भाइयों बिल खुसूस ज़मीनदार इस्लामी भाइयों को इस के मुतालए की तरगीब दे कर सवाबे जारिया के मुस्तहिक़ बनिये। अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें “अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश” करने के लिये मदनी इन्आमात पर अमल और मदनी काफ़िलों का मुसाफ़िर बनते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दा’वते इस्लामी की तमाम मजलिसे ब शुमूल मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या को दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं तरक्की अता फ़रमाए।

اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

शो’बए इस्लाही कुतुब (मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या)

नम्बर	उन्वान	सफ़ह्रा
1	उश्र का बयान	8
2	उश्र के फ़ज़ाइल	8
3	उश्र अदा न करने का वबाल	10
4	किस पैदावार पर उश्र वाजिब है ?	11
5	शहद की पैदावार पर उश्र	13
6	किस पैदावार पर उश्र वाजिब नहीं ?	13
7	उश्र वाजिब होने के लिये कम अज़ कम मिक्दार	14
8	पागल और ना बालिग़ पर उश्र	14
9	कर्जदार पर उश्र	15
10	शरई फ़कीर पर उश्र	15
11	उश्र के लिये साल गुज़रना शर्त है या नहीं ?	15
12	मुख्तलिफ़ ज़मीनों का उश्र	16
13	ठेके की ज़मीनों का उश्र	16
14	अगर खुद फ़स्ल न बोई तो उश्र किस पर है ?	17
15	मुशतरिका ज़मीन का उश्र	17
16	घरेलू पैदावार पर उश्र	18
17	उश्र की अदाएगी से पहले अख़्राजात अलग करना	18
18	उश्र की अदाएगी	18

1	उ़श्र पेशगी अदा करना	19
2	फल जाहिर होने और खेती तय्यार होने से मुराद	19
3	पैदावार बेच दी तो उ़श्र किस पर है ?	19
4	उ़श्र की अदाएगी में ताख़ीर	20
5	उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल	20
6	उ़श्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?	21
7	उ़श्र में रक़म देना	21
8	अगर त़वील अ़सें से उ़श्र अदा न किया हो तो ?	21
9	अगर फ़स्ल ही काशत न की तो ?	21
10	फ़स्ल जाएअ होने की सूरत में उ़श्र	22
11	उ़श्र किस को दिया जाए	22
12	जिन को उ़श्र नहीं दे सकते	25
13	इमामे मस्जिद को उ़श्र देना	26
14	ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्जियां और फल	27
15	रबीअ की फ़स्लें, सब्जियां और फल	27
16	दा'वते इस्लामी के साथ तअ़ावुन कीजिये	28
17	दा'वते इस्लामी की झल्लिकयां	29

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत

रहमते आलम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया: ऐ लोगो ! बेशक बरोजे कियामत उस की दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वोह होगा जिस ने तुम में से मुझ पर दुन्या के अन्दर ब कसरत दुरूद शरीफ़ पढे होंगे ।”

(फ़रुसुलुल अख़बार, الحدیث ۸۲۱۰، ج ۲، ص ۲۷۱)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

उ़श्र का बयान

सुवाल : उ़श्र किसे कहते हैं ?

जवाब : ज़मीन से नफ़अ हासिल करने की गरज़ से उगाई जाने वाली शै की पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उ़श्र कहते हैं ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السادس، ج ۱، ص ۱۸۵، ملخصاً)

सुवाल : ज़मीन की ज़कात को उ़श्र क्यूं कहते हैं ?

जवाब : ज़मीन की पैदावार का उ़मूमन दसवां (1/10) हिस्सा बतौर ज़कात दिया जाता है इस लिये इसे उ़श्र (या'नी दसवां हिस्सा) कहते हैं ।

उ़श्र के फ़ज़ाइल

सुवाल : उ़श्र देने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब : उ़श्र की अदाएगी करने वालों को इन्आमाते आख़िरत की बिशारत है जैसा कि कुरआने पाक में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ
يُخْرِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾
(प २२, सबा: ३९)

सूरए बकरह में है :

مَسْئَلِ الَّذِينَ يَيقُونُ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ كَشَلِ حَبَّةٍ أُتْبِتَتْ سَبْعَ
سَبَائِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ ۗ وَآتَتْ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ يَيقُونُ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ
مَآ أَنْفَقُوا مَتَّوًّا وَلَا أَدَّىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٩﴾
(प ३, البقرة: २११-२१२)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो चीज़
तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वोह उस
के बदले और देगा और वोह सब से बेहतर
रिज़क देने वाला ।

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : उन की कहावत
जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च
करते हैं उस दाने की तरह जिस ने उगाई
सात बालीं । हर बाल में सो दाने और
अल्लाह इस से भी ज़ियादा बढ़ाए जिस के
लिये चाहे और अल्लाह वुस्अत वाला इल्म
वाला है वोह जो अपने माल अल्लाह की
राह में खर्च करते हैं, फिर दिये पीछे न एहसान
रखें न तकलीफ़ दें उन का नेग (इन्आम) उन
के रब के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा
हो न कुछ ग़म ।

सरवरे अ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने भी तरगीबे
उम्मत के लिये कई मक़ामात पर राहे खुदा عَزَّوَجَلَّ में खर्च करने के कई
फ़ज़ाइल बयान किये हैं : चुनान्चे

हज़रते सय्यिदुना हसन رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है कि नबिय्ये
करीम, रऊफुरहीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “जकात दे
कर अपने मालों को मज़बूत क़लओं में कर लो और अपने बीमारों का इलाज
सदके से करो और बला नाज़िल होने पर दुआ व तज़रोंअ (या’नी गिर्या व ज़ारी)
से इस्तिआनत (या’नी मदद त़लब) करो ।” (मरासिल ابی داؤد مع سنن ابی داؤد، باب فی الصائم، ص ८)

और हज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये पाक साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “जिस ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह तआला ने उस से शर दूर फ़रमा दिया ।”

(المعجم الاوسط، باب الالف، الحديث ١٥٤٩، ج ١، ص ٢٣١)

उ़शर अदा न करने का वबाल

सुवाल : उ़शर अदा न करने का क्या वबाल है ?

जवाब : उ़शर अदा न करने वाले के लिये कुरआने पाक व अहादीसे मुबारका में सख़्त वईदें आई हैं । चुनान्वे अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(پ. ٢، آل عمران: ١٨٠)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो बुख़ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अन्करीब वोह जिस में बुख़ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौक होगा ।

हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि मक्की मदनी सरकार, दो आलम के मालिको मुख़्तार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “जिस को अल्लाह عَزَّوَجَلَّ माल दे और वोह उस की ज़कात अदा न करे तो क़ियामत के दिन वोह माल गन्जे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा जिस के सर पर दो चित्तियां होंगी (या’नी दो निशान होंगे), वोह सांप उस के गले में तौक बना कर डाल दिया जाएगा, फिर उस (ज़कात न देने वाले) की बाछें पकड़ेगा और कहेगा : मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं । इस के बा’द नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो बुख़ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अन्क़रीब वोह जिस में बुख़ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौक़ होगा ।

(صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب اثم مانع الزکوٰۃ، الحدیث ۱۲۰۳، ج ۱ ص ۲۷)

हज़रते सय्यिदुना बुरीदा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि सरकारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “जो क़ौम ज़कात न देगी अल्लाह एَزَّوَجَلَّ उसे क़हूत में मुब्तला फ़रमाएगा ।”
(المجمّع الاوسط، الحدیث ۲۵۷۷، ج ۳ ص ۲۷)

हज़रते सय्यिदुना अमीरुल मुअमिनीन उ़मर फ़ारूके आ'ज़म رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम, रउफ़रहीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “खुशकी व तरी में जो माल तलफ़ होता है, वोह ज़कात न देने की वजह से तलफ़ होता है ।”

(کنز العمال، کتاب الزکوٰۃ، الفصل الثانی فی تزییبات مانع الزکوٰۃ، الحدیث ۱۵۸۰۳، ج ۶ ص ۱۳۱)

किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

सुवाल : ज़मीन की किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

जवाब : जो चीज़ें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़अ हासिल करना मक़सूद हो ख़्वाह वोह ग़ल्ला, अनाज और फल फ़ूट हों या सब्ज़ियां वगैरा मसलन अनाज और ग़ल्ला में गन्दुम, जव, चावल, गन्ना, कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई, और सूरज मुखी, राई, सरसों और लोसन वगैरा ।

फलों में ख़रबूज़ा, आम, अमरूद, मालटा, लोकाट, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल, संगतरा, पपीता, और नारियल, तरबूज़, फ़ाल्सा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ूबानी, आडू, खजूर, आलू बुख़ारा, गरमा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा वगैरा ।

सब्ज़ियों में ककड़ी, टिंडा, करेला, भिन्डी तूरी, आलू, टमाटर, घियातूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी, तोरिया, फूल गोभी, बन्द गोभी, शलगम, गाजर, चुकन्दर, मटर, पियाज़, लहसन, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ किस्म के साग और मेथी और बैंगन वगैरा ।⁽¹⁾ इन सब की पैदावार में से उ़श्र (या'नी दसवां हिस्सा) या निस्फ़ उ़श्र (या'नी बीसवां हिस्सा) वाजिब है ।

(التقاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السادس، ج 1، ص 186)

अल्लाह तआला ने सूरतुल अन्आम में फ़रमाया :

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : खेती कटने के
 (प 8, الانعام: 141)

दिन उस का हक़ अदा करो ।

इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, परवानए शम्ए रिसालत, अशशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن लिखते हैं कि अक्सर मुफ़स्सरीन मसलन हज़रत इब्ने अब्बास, तारुस, हसन, जाबिर बिन जैद और सईद बिन मुसय्यब رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ के नज़्दीक इस हक़ से मुराद उ़श्र है ।

(फ़तावा रज़विय्या जदीद, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 65)

नबिय्ये करीम, रऊफ़ुरहीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इशाद फ़रमाया : “हर उस शै में जिसे ज़मीन ने निकाला, (उस में) उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र है ।”

(کنز العمال، کتاب الزکوة، باب زکوة النباتات والفاواکه، الحدیث 15823، ج 6، ص 139)

1 : मौसिम के ए'तिबार से फ़स्तों, फलों और सब्ज़ियों की तफ़सील स. 27 पर मुलाहज़ा फ़रमाएं ।

हज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ बयान करते हैं कि रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “जिन ज़मीनों को दरिया और बारिश सैराब करे उन में उ़श्र (दसवां हिस्सा देना वाजिब) है और जो ज़मीनें ऊंट के ज़रीए सैराब की जाएं उन में निस्फ़ उ़श्र (बिसवां हिस्सा वाजिब) है।”

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب ما فی العشر اوصف العشر، الحدیث ۹۸۱، ص ۲۸۸)

सुवाल : निस्फ़ उ़श्र से क्या मुराद है ?

जवाब : निस्फ़ उ़श्र से मुराद बीसवां हिस्सा 1/20 है।

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 15)

शहद की पैदावार पर उ़श्र

सुवाल : उ़शरी ज़मीन में जो शहद पैदा हो क्या उस पर भी उ़श्र देना पड़ेगा ?

जवाब : जी हां।

(التقاوی الھندیہ، کتاب الزکاۃ، الباب السادس، ج ۱ ص ۱۸۶)

किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब नहीं ?

सुवाल : किन फ़स्लों पर उ़श्र वाजिब नहीं ?

जवाब : जो चीजें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़अ हासिल करना मक्सूद न हो उन में उ़श्र नहीं जैसे ईंधन, घास, बेद, सरकन्डा, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं), खजूर के पत्ते वगैरा, इन के इलावा हर किस्म की तरकारियों और फलों के बीज कि इन की खेती से तरकारियां मक्सूद होती हैं बीज मक्सूद नहीं होते और जो बीज दवा के तौर पर इस्ति'माल होते हैं मसलन कुन्दुर, मेथी और कलौंजी वगैरा के बीज, उन में भी उ़श्र नहीं है। इसी तरह वोह चीजें जो

ज़मीन के ताबेअ हों जैसे दरख़्त और जो चीज़ दरख़्त से निकले जैसे गोंद, उस में उ़श्र वाजिब नहीं ।

अलबत्ता अगर घास, बेद, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं) वगैरा से ज़मीन के मनाफ़ेअ हासिल करना मक़सूद हो और ज़मीन इन के लिये खाली छोड़ दी तो इन में भी उ़श्र वाजिब है । कपास और बैंगन के पौदों में उ़श्र नहीं मगर इन से हासिल कपास और बैंगन की पैदावार में उ़श्र है ।

(در مختار، کتاب الزکوٰۃ، باب العشر، ج ۳ ص ۳۱۵، الفتاویٰ الھندیہ، کتاب الزکوٰۃ، الباب السادس فی زکوٰۃ الزرع، ج ۱ ص ۱۸۶)

उ़श्र वाजिब होने के लिये कम अज़ कम मिक्दार

सुवाल : उ़श्र वाजिब होने के लिये ग़ल्ला, फल और सब्ज़ियों की कम अज़ कम कितनी मिक्दार होना ज़रूरी है ?

जवाब : उ़श्र वाजिब होने के लिये इन की कोई मिक्दार मुकरर नहीं है बल्कि ज़मीन से ग़ल्ला, फल और सब्ज़ियों की जितनी पैदावार भी हासिल हो उस पर उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र देना वाजिब होगा ।

(الفتاویٰ الھندیہ، المرحع السابق)

पागल और ना बालिग़ पर उ़श्र

सुवाल : अगर इन की पैदावार का मालिक पागल और ना बालिग़ हो तो उस को भी उ़श्र देना होगा ?

जवाब : उ़श्र चूंकि ज़मीन की पैदावार पर अदा किया जाता है लिहाज़ा जो भी इस पैदावार का मालिक होगा वोह उ़श्र अदा करेगा चाहे वोह मज्जून (या'नी पागल) और ना बालिग़ ही क्यूं न हो ।

(الفتاویٰ الھندیہ، کتاب الزکوٰۃ، الباب السادس فی زکوٰۃ الزرع، ج ۱ ص ۱۸۵، ملخصاً)

क़र्जदार पर उ़श्र

सुवाल : क्या क़र्जदार को उ़श्र मुआफ़ है ?

जवाब : क़र्जदार से उ़श्र मुआफ़ नहीं, इस लिये अगर क़र्ज ले कर ज़मीन ख़रीदी हो या काशत कार पहले से मक्रूज़ हो या क़र्ज ले कर काशत कारी की हो इन सब सूरतों में क़र्जदार पर भी उ़श्र वाजिब है ।”

(الدرا المختار و رد المحتار، كتاب الزكوة، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۴)

अल्लामा अल्लिम बिन अला अल अन्सारी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं कि “जकात के बर ख़िलाफ़ उ़श्र मक्रूज़ पर भी वाजिब होता है ।”

(فتاوى تاتारخानیة، كتاب العشر، ج ۲، ص ۲۳۰)

शरई फ़कीर पर उ़श्र

सुवाल : क्या शरई फ़कीर पर भी उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : जी हां, शरई फ़कीर पर भी उ़श्र वाजिब है क्यूं कि उ़श्र वाजिब होने का सबब ज़मीने नामी (या'नी काबिले काशत) से हक़ीक़तन पैदावार का होना है, इस में मालिक के ग़नी या फ़कीर होने का कोई ए'तिबार नहीं ।

(ماخوذ من العنایة والکفایة، کتاب الزکوة، باب زکاة الاروع، ج ۲، ص ۱۸۸)

उ़श्र के लिये साल गुज़रना शर्त है या नहीं ?

सुवाल : क्या उ़श्र वाजिब होने के लिये साल गुज़रना शर्त है ?

जवाब : उ़श्र वाजिब होने के लिये पूरा साल गुज़रना शर्त नहीं बल्कि साल में एक ही खेत में चन्द बार पैदावार हुई तो हर बार उ़श्र वाजिब है ।

(الدرا المختار و رد المحتار، كتاب الزكوة، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۳)

मुख़्तलिफ़ ज़मीनों का उ़श्र

सुवाल : मुख़्तलिफ़ ज़मीनों को सैराब करने के लिये अलग अलग तरीके इस्ति'माल किये जाते हैं, तो क्या हर किस्म की ज़मीन में उ़श्र (या'नी दसवां हिस्सा ही) वाजिब होगा ?

जवाब : इस सिल्लिसले में क़ाइदा येह है कि

☆ जो खेत बारिश, नहर, नाले के पानी से (क़ीमत अदा किये बिगैर) सैराब किया जाए, उस में उ़श्र या'नी दसवां हिस्सा वाजिब है,

☆ जिस खेत की आबपाशी डोल (या अपने ट्यूब वेल) वगैरा से हो, उस में निस्फ़ उ़श्र या'नी बीसवां हिस्सा वाजिब है,

☆ अगर (नहर या ट्यूब वेल वगैरा का) पानी ख़रीद कर आबपाशी की हो या'नी वोह पानी किसी की मिल्कियत है उस से ख़रीद कर आबपाशी की, जब भी निस्फ़ उ़श्र वाजिब है,

☆ अगर वोह खेत कुछ दिनों बारिश के पानी से सैराब कर दिया जाता है और कुछ दिन डोल (या अपने ट्यूब वेल) वगैरा से, तो अगर अक्सर बारिश के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल (या अपने ट्यूब वेल) वगैरा से तो उ़श्र वाजिब है वरना निस्फ़ उ़श्र वाजिब है ।

(दरमुक़्तारुदुअलख़्तार, کتاب الزکوٰۃ, باب العشر, ج ۳, ص ۳۱۶)

ठेके की ज़मीनों का उ़श्र

सुवाल : क्या ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा ?

जवाब : जी हां, ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा ।

सुवाल : येह उ़श्र कौन अदा करेगा ?

जवाब : इस उ़श्र की अदाएगी काशत कार पर वाजिब होगी ।

(दरमुक़्तारुदुअलख़्तार, کتاب الزکوٰۃ, باب العشر, ج ۳, ص ۳۱۴)

अगर खुद फ़स्ल न बोई तो उ़श्र किस पर है ?

सुवाल : अगर ज़मीन का मालिक खुद खेतीबाड़ी में हिस्सा न ले बल्कि मुज़ारेअों से काम ले तो उ़श्र मुज़ारेअ पर होगा या मालिके ज़मीन पर ?

जवाब : इस सिल्लिसले में देखा जाएगा कि

अगर मुज़ारेअ से मुराद वोह है जो ज़मीन बटाई पर लेता है या'नी पैदावार में से आधा या तीसरा हिस्सा वगैरा मालिके ज़मीन का और बक़िय्या मुज़ारेअ का हो तो इस सूरत में दोनों पर उन के हिस्से के मुताबिक़ उ़श्र वाजिब होगा सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह, मौलाना अमजद अली आ'जमी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ **बहारे शरीअत में फ़रमाते हैं,** “उ़शरी ज़मीन बटाई पर दी तो उ़श्र दोनों पर है।” (बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 54)

और अगर मुज़ारेअ से मुराद वोह है कि जिस को मालिके ज़मीन ने ज़मीन इजारे पर दी मसलन फ़ी एकड़ पचास हज़ार रुपिया तो इस सूरत में उ़श्र मुज़ारेअ पर होगा मालिके ज़मीन पर नहीं।

(माغ़ुडा़रिद अल्लु अल्लु अल्लु, ज. २, स. १८५)

मुशतरिका ज़मीन का उ़श्र

सुवाल : जो ज़मीन किसी की मुशतरिका मिल्कियत हो तो उ़श्र कौन अदा करेगा ?

जवाब : उ़श्र की अदाएगी में ज़मीन का मालिक होना शर्त नहीं है बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त है इस लिये जो जितनी पैदावार का मालिक होगा वोह उस पैदावार का उ़श्र अदा करेगा। **फ़तावा शामी** में है कि “उ़श्र वाजिब होने के लिये ज़मीन का मालिक होना शर्त नहीं बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त है क्यूं कि उ़श्र पैदावार पर वाजिब होता है न कि ज़मीन पर, और ज़मीन का मालिक होना या न होना दोनों बराबर है।”

(रुदा अल्लु अल्लु अल्लु, बाब अल्लु अल्लु, ज. ३, स. ३१५)

घरेलू पैदावार पर उ़श्र

सुवाल : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो उस पर उ़श्र होगा या नहीं ?

जवाब : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो, उस में उ़श्र वाजिब नहीं है ।
(الدرا المختار، كتاب الزكوة، مطلب مهم في حكم اراضي مصر والشام السلطانية، ج ۳، ص ۳۲۰)

उ़श्र की अदाएगी से पहले अख़्राजात अलग करना

सुवाल : क्या उ़श्र कुल पैदावार से अदा किया जाएगा या अख़्राजात वगैरा निकाल कर बक़िय्या पैदावार से अदा किया जाएगा ?

जवाब : जिस पैदावार में उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र वाजिब हो, उस में कुल पैदावार का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र लिया जाएगा । ऐसा नहीं है कि ज़िराअत, हल, बैल, हिफ़ाज़त करने वाले और काम करने वालों की उजरत या बीज, खाद और अदवियात वगैरा के अख़्राजात निकाल कर बाकी का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र दिया जाए ।

(الدرا المختار و رد المحتار، كتاب الزكوة، مطلب مهم في حكم اراضي مصر والشام السلطانية، ج ۳، ص ۳۱۷)

सुवाल : हुकूमत को जो माल गुज़ारी दी जाती है क्या उसे भी पैदावार से नहीं निकाला जाएगा ?

जवाब : जी नहीं, उस माल गुज़ारी को भी पैदावार से अलग नहीं किया जाएगा बल्कि उसे भी शामिल कर के उ़श्र का हिसाब लगाया जाएगा ।

उ़श्र की अदाएगी

सुवाल : उ़श्र कब अदा करना होगा ?

जवाब : जब पैदावार हासिल हो जाए या'नी फ़स्ल पक जाए या फल निकल आएँ और नफ़अ उठाने के काबिल हो जाएँ तो उ़श्र वाजिब हो जाएगा । फ़स्ल काटने या फल तोड़ने के बा'द हिसाब लगा कर उ़श्र अदा करना होगा । (الدرا المختار و رد المحتار، كتاب الزكوة، باب العشر، مطلب مهم في حكم اراضي مصر والشام السلطانية، ج ۳، ص ۳۲۱)

उ़श्र पेशगी अदा करना

सुवाल : क्या उ़श्र पेशगी तौर पर अदा किया जा सकता है ?

जवाब : इस की चन्द सूरतें हैं :

- (1) जब खेती तय्यार हो जाए तो उस का उ़श्र पेशगी देना जाइज़ है ।
- (2) खेती बोने और ज़ाहिर होने के बा'द अदा किया तो भी जाइज़ है ।
- (3) अगर बोने के बा'द और ज़ाहिर होने से पहले अदा किया तो अज़ह्र (या'नी ज़ियादा ज़ाहिर) येह है कि पेशगी अदा करना जाइज़ नहीं ।
- (4) फलों के ज़ाहिर होने से पहले दिया तो पेशगी देना जाइज़ नहीं और ज़ाहिर होने के बा'द दिया तो जाइज़ है । (फ़तावु अलमगीरि, کتاب الزکوة، ج 1، ص 181) ।

मदीना : अगर्चे ज़िक्र की गई बा'ज सूरतों में पेशगी उ़श्र अदा करना जाइज़ है लेकिन अफ़ज़ल येह है कि पैदावार हासिल होने के बा'द उ़श्र अदा किया जाए ।

(المحررات، کتاب الزکوة، ج 2، ص 392)

फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से मुराद

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से क्या मुराद है ?

जवाब : इस से मुराद येह है कि खेती इतनी तय्यार हो जाए और फल इतने पक जाएं कि उन के ख़राब होने या सूख जाने वगैरा का अन्देशा न रहे अगर्चे तोड़ने या काटने के काबिल न हुए हों ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 241)

पैदावार बेच दी तो उ़श्र किस पर है ?

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने के बा'द फल बेचे तो उ़श्र बेचने वाले पर होगा या खरीदने वाले पर ?

जवाब : ऐसी सूरत में उ़श्र बेचने वाले पर होगा ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 241)

उ़श्र की अदाएगी में ताख़ीर

सुवाल : उ़श्र अदा करने में ताख़ीर करना कैसा ?

जवाब : उ़श्र पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जो अहकाम ज़कात की अदाएगी के हैं, वोही अहकाम उ़श्र की अदाएगी के भी हैं । इस लिये बिग़ैर मजबूरी के इस की अदाएगी में ताख़ीर करने वाला गुनहगार है और उस की शहादत (या'नी गवाही) मक्बूल नहीं ।

(الفتاوى الهنديّة، كتاب الزكوة، الباب الاول، ج 1، ص 140)

सुवाल : अगर कोई उ़श्र वाजिब होने के बा वुजूद अदा न करे तो क्या करना चाहिये ?

जवाब : जो खुशी से उ़श्र न दे तो बादशाहे इस्लाम ज़ब्रन (या'नी ज़ब्र दस्ती) उस से उ़श्र ले सकता है और इस सूरत में भी उ़श्र अदा हो जाएगा मगर सवाब का मुस्तहिक़ नहीं और खुशी से अदा करे तो सवाब का मुस्तहिक़ है ।” (الفتاوى الهنديّة، كتاب الزكوة، الباب السادس في زكوة الاربع والثمانين، ج 1، ص 185)

मदीना : याद रहे कि ज़ब्र दस्ती उ़श्र वुसूल करना बादशाहे इस्लाम ही का काम है अ़ाम लोगों को येह इख़्तियार हासिल नहीं है । ऐसी सूरते हाल में उसे उ़श्र अदा करने की तरगीब दी जाए और रब तअ़ाला की नाराज़गी का एहसास दिलाया जाए । ऐसे लोगों को येह रिसाला पढ़ने के लिये तोहफ़तन पेश करना भी बेहद मुफ़ीद होगा, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ।

उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल

सुवाल : क्या उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार इस्ति'माल कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : जब तक उ़श्र अदा न कर दे या पैदावार से उ़श्र अलग न कर ले, उस वक़्त तक पैदावार में से कुछ भी इस्ति'माल करना जाइज़ नहीं

और अगर इस्ति'माल कर लिया तो उस में जो उ़श्र की मिक्दार बनती है उतना तावान अदा करे अलबत्ता थोड़ा सा इस्ति'माल कर लिया तो मुआफ़ है ।
(الدر المختار و رد المحتار، کتاب الزکاة، مطلب محمد فی حکم اراضی مصر، ج ۳، ص ۳۳۳)

उ़श्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?

सुवाल : जिस पर उ़श्र वाजिब हो और वोह फ़ौत हो जाए और पैदावार भी मौजूद है तो क्या उस में से उ़श्र दिया जाएगा ?

जवाब : ऐसी सूरत में अगर पैदावार मौजूद हो तो उस पैदावार में से उ़श्र दिया जाएगा ।
(الفتاویٰ الھندیہ، کتاب الزکوة، الباب السادس فی زکاة الاربع، ج ۱، ص ۱۸۵)

उ़श्र में रक़म देना

सुवाल : क्या उ़श्र में सिर्फ़ पैदावार ही देनी होगी या उस की कीमत भी दी जा सकती है ?

जवाब : मौजूदा फ़स्ल में से जिस क़दर ग़ल्ला या फल हों उन का पूरा उ़श्र अ़लाह़दा करे या उस की पूरी कीमत (बतौरै उ़श्र) दे, दोनों तरह से जाइज़ है ।
(अल फ़तावल मुस्तफ़विyyा, स. 298)

अगर त़वील अ़सें से उ़श्र अदा न किया हो तो ?

सुवाल : अगर कई साल उ़श्र अदा न किया तो क्या किया जाए ?

जवाब : उ़श्र की अ़दमे अदाएगी पर तौबा करे और साबिका सालों के उ़श्र का हिसाब लगा कर ब क़दरे इस्तिताअत अदा करता रहे ।

(माख़ूज़ अज़ अल फ़तावल मुस्तफ़विyyा, स. 298)

अगर फ़स्ल ही काशत न की तो ?

सुवाल : अगर ज़िराअत पर क़ादिर होने के बा वुजूद किसी ने फ़स्ल काशत नहीं की तो क्या इस सूरत में भी उस पर उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : अगर किसी ने ज़िराअत पर क़ादिर होने के बा वुजूद फ़स्ल काशत नहीं की तो पैदावार न होने की बिना पर उस पर उ़श्र की अदाएगी

वाजिब नहीं क्यूं कि उ़श्र ज़मीन पर नहीं उस की पैदावार पर वाजिब होता है ।
(رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۲۳)

फ़स्ल जा़एअ़ होने की सूरत में उ़श्र

सुवाल : अगर किसी वज्ह से फ़स्ल जा़एअ़ हो गई तो उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : खेत बोया मगर पैदावार जा़एअ़ हो गई मसलन खेती डूब गई या जल गई या सर्दी और लू से जाती रही तो इन सब सूरतों में उ़श्र साक़ित है, जब कि कुल जाती रही और अगर कुछ बाकी है तो उस बाकी का उ़श्र लेंगे और अगर जानवर खा गए तो (उ़श्र) साक़ित नहीं और (उ़श्र) साक़ित होने के लिये ये भी शर्त है कि इस के बा'द उस साल के अन्दर उस में दूसरी जि़राअ़त तय्यार न हो सके और ये भी शर्त है कि तोड़ने या काटने से पहले हलाक हो वरना साक़ित नहीं ।

(رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۲۳)

उ़श्र किस को दिया जाए

सुवाल : उ़श्र किसे दिया जाए ?

जवाब : उ़श्र चूँकि खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है, इस लिये जिन को ज़कात दी जा सकती है उन को उ़श्र भी दिया जा सकता है ।

(الفتاوى المتناوية، کتاب الزکوٰۃ، فصل فی العشر فی ما یخرج الارض، ج ۱، ص ۱۳۲)

इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है :

(1) फ़कीर (2) मिस्कीन (3) अमिल (4) रिक़्ाब (5) ग़ारिम (6)

फ़ी सबीलिल्लाह (7) इब्नुस्सबील या'नी मुसाफ़िर ।

(الفتاوى المتناوية، کتاب الزکوٰۃ، الباب السابع فی المصارف، ج ۱، ص ۱۸۷)

वज़ाहत

फ़कीर : वोह जो मालिके निसाब न हो । मालिके निसाब होने से मुराद येह है कि उस शख़्स के पास साढ़े सात तोले सोना, या साढ़े बावन तोले

चांदी, या इतनी मालिय्यत की रक़म, या इतनी मालिय्यत का माले तिजारत हो, या इतनी मालिय्यत का ज़रूरियाते जिन्दगी से जाइद सामान हो और उस पर **अल्लाह** तआला या बन्दों का इतना कर्ज़ न हो कि जिसे अदा कर के ज़िक्र कर्दा निसाब बाकी न रहे ।

(الفتاوى المحمدية، كتاب الزكوة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص 187)

मदीना : ज़रूरियाते जिन्दगी से मुराद वोह चीजें हैं जिन की उमूमन इन्सान को ज़रूरत होती है और इन के बिगैर गुज़र अवक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी महसूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इल्मे दीन से मुतअल्लिक़ किताबें और पेशे से मुतअल्लिक़ औज़ार वगैरा । **अल्लाह** तआला के कर्ज़ से मुराद साबिका ज़कात या कुरबानी वाजिब होने के बा वुजूद न करने की सूरत में जानवर की कीमत सदका करना है ।

मिस्कीन : वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक कि वोह खाने और बदन छुपाने के लिये इस का मोहताज है कि लोगों से सुवाल करे ।

(المرجع السابق)

आमिल : वोह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उ़श्र वुसूल करने के लिये मुकर्रर किया हो ।

(المرجع السابق، ص 188)

मदीना : सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ **बहारे शरीअत** में फ़रमाते हैं कि “आमिल अगर्वे ग़नी हो अपने काम की उजरत ले सकता है और हाशमी हो तो उस को माले ज़कात में से देना भी ना जाइज़ और उसे लेना भी ना जाइज़, हां अगर किसी और मद (या'नी जिम्न) में दें तो लेने में हरज नहीं ।” (लेकिन फ़ी ज़माना शरई आमिल मौजूद नहीं हैं) (बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 57)

रिक़्ाब : से मुराद मुकातब गुलाम है । मुकातब उस गुलाम को कहते हैं

जिस से उस के आका ने उस की आजादी के लिये कुछ कीमत अदा करना तै की हो । फ़ी ज़माना रि़काब मौजूद नहीं । (अल मर्ज़उस्साबिक्)

ग़ारिम : से मुराद मक्रूज़ है या'नी उस पर इतना कर्ज़ हो कि उसे निकालने के बा'द ज़कात का निसाब बाकी न रहे अगर्चे इस का दूसरों पर कर्ज़ बाकी हो मगर लेने पर कुदरत न रखता हो ।

(الدر المختار، کتاب الزکوة، باب المصرف، ج ۳، ص ۳۳۹)

फ़ी सबीलिल्लाह : या'नी राहे खुदा **عَزَّوَجَلَّ** में खर्च करना, इस की चन्द सूरतें हैं ।

(1) कोई शख्स मोहताज है और येह जिहाद में जाना चाहता है उस के पास सुवारी और ज़ादे राह नहीं हैं तो उसे माले ज़कात दे सकते हैं कि येह राहे खुदा **عَزَّوَجَلَّ** में देना है अगर्चे वोह कमाने पर कादिर हो ।

(2) कोई हज़ के लिये जाना चाहता है और उस के पास ज़ादे राह नहीं उस को ज़कात दे सकते हैं लेकिन उसे हज़ के लिये लोगों से सुवाल करना जाइज़ नहीं ।

(3) त़ालिबे इल्म, इल्मे दीन पढ़ता है या पढ़ना चाहता है उस को भी दे सकते हैं कि येह राहे खुदा **عَزَّوَجَلَّ** में खर्च करना है बल्कि त़ालिबे इल्म सुवाल कर के भी माले ज़कात ले सकता है अगर्चे वोह कमाने पर कुदरत रखता हो ।

(4) इसी तरह हर नेक काम में माले ज़कात इस्ति'माल करना फ़ी सबीलिल्लाह या'नी **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** की राह में खर्च करना है । माले ज़कात (और उ़श्र) में दूसरे को मालिक कर देना ज़रूरी है, बिगैर मालिक किये ज़कात अदा नहीं हो सकती । (الدر المختار، کتاب الزکوة، باب المصرف، ج ۳، ص ۳۳۵)

इब्ने सबील : या'नी वोह मुसाफ़िर (यहां मुसाफ़िर से मुराद शरई मुसाफ़िर है और शरई मुसाफ़िर वोह है जो तक़ीबन 92 किलो मीटर सफ़र करने का इरादा रखता हो) जिस के पास सफ़र की हालत में माल न रहा, येह ज़कात

ले सकता है अगर्चे इस के घर में माल मौजूद हो मगर उसी क़दर ले जिस से उस की ज़रूरत पूरी हो जाए, ज़ियादा की इजाज़त नहीं।

(الفتاوى المحمدية، كتاب الزكوة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص 188)

मदीना (1) : सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ **बहारे शरीअत** में फ़रमाते हैं कि “जिन लोगों की निस्बत येह बयान किया गया कि उन्हें ज़कात दे सकते हैं उन सब का फ़कीर होना शर्त है सिवाए अमिल के कि इस के लिये फ़कीर होना शर्त नहीं और इब्नुस्सबील (मुसाफ़िर) अगर्चे ग़नी हो उस वक़्त फ़कीर के हुक्म में है बाकी किसी को जो फ़कीर न हो ज़कात नहीं दे सकते।”

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 63)

मदीना (2) : ज़कात देने वाले को इख़्तियार होता है कि चाहे तो उ़श्र को इन तमाम अफ़़ाद में थोड़ा थोड़ा तक्सीम कर दे और अगर चाहे तो किसी एक ही को दे दे। अगर माले ज़कात इतना है कि ब क़दरे निसाब नहीं है तो एक ही शख़्स को दे देना अफ़ज़ल है और अगर ब क़दरे निसाब है तो एक ही शख़्स को दे देना मक्रूह है, लेकिन ज़कात बहर हाल अदा हो जाएगी। हां अगर वोह शख़्स ग़रिम या'नी क़र्जदार है तो उस को इतना दे देना कि क़र्ज निकाल कर कुछ न बचे या निसाब से कम बचे, बिला कराहत जाइज़ है।

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 59)

जिन को उ़श्र नहीं दे सकते

सुवाल : वोह कौन से लोग हैं जिन को उ़श्र नहीं दे सकते ?

जवाब : उ़श्र चूँकि खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जिन को ज़कात नहीं दे सकते उन को उ़श्र भी नहीं दे सकते। मसलन

(1) बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते चाहे देने वाला हाशिमी हो या ग़ैरे हाशिमी। बनी हाशिम से मुराद हज़रते अली व जा'फ़र व अक़ील और हज़रते अब्बास व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं।

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 63)

(2) अपनी अस्ल या'नी मां, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, वगैरा जिन की औलाद में येह (या'नी ज़कात देने वाला) है और अपनी औलाद मसलन, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी वगैरा को ज़कात नहीं दे सकते।
(रुदा'लख़्तार, کتاب الزکوة، باب المصرف، ج 3، ص 322)

(3) मियां बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह अगर शोहर तलाक़ दे चुका हो और औरत इद्दत में हो तो शोहर उसे ज़कात नहीं दे सकता और अगर इद्दत गुज़र चुकी हो तो ज़कात दे सकता है।

(الدرا'लख़्तार وروا'लख़्तार، کتاب الزکوة، باب المصرف، ج 3، ص 325)

इमामे मस्जिद को उ़श्र देना

सुवाल : क्या इमामे मस्जिद को उ़श्र दिया जा सकता है ?

जवाब : इमाम साहिब अगर शरई फ़कीर न हों या सय्यिद साहिब हों तो उन को उ़श्र नहीं दिया जा सकता और अगर वोह शरई फ़कीर हों और सय्यिद जादे न हों तो उस को उ़श्र दिया जा सकता है बल्कि अगर वोह अ़ालिम हों तो उन्हीं को देना अफ़ज़ल है। मगर अ़ालिम को देते वक़्त इस बात का लिहाज़ रखा जाए कि उस का एहतिराम पेशे नज़र हो और देने वाला अदब के साथ दे जैसे छोटे बड़ों को कोई चीज़ नज़र करते हैं और **مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** अ़ालिमे दीन को देते वक़्त अगर हक़ारत दिल में आई तो येह हलाकत बल्कि बहुत बड़ी हलाकत है। (बहारे शरीअत, हिस्सा : 5, स. 63)

फ़तावा अ़ालमगीरी में है कि “फ़कीर अ़ालिम पर सदका करना जाहिल फ़कीर पर सदका करने से अफ़ज़ल है।”

(الفتاوى الهندیة، کتاب الزکوة، الباب السابع فی المصارف، ج 1، ص 182)

सुवाल : इमामे मस्जिद को बतौर उजरत उ़श्र देना कैसा ?

जवाब : इमामे मस्जिद को (हीलाए शरई के बिगैर) बतौर उजरत उ़श्र देना जाइज़ नहीं क्यूं कि मस्जिद मसारिफ़े ज़कात में से नहीं है और उ़श्र के अहकाम वोही हैं जो ज़कात के हैं।

(ماخوذ من الفتاوى الهندیة، کتاب الزکوة، الباب السابع فی المصارف، ج 1، ص 188)

मदीना : फुक़हाए किराम رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ज़कात (व उ़श्र) का शरई ह्रीला करने का तरीका यूं इर्शाद फ़रमाते हैं, कि फ़कीर को (ज़कात की रक़म का) मालिक कर दें और वोह (ता'मीरे मस्जिद वगैरा में) सर्फ़ करे, इस तरह सवाब दोनों को होगा। (रुआलरुज ३/३३३)

मज़ीद तफ़सील के लिये रिसाला "क़ज़ा नमाज़ों का तरीका" अज़ अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي का मुतालआ करें।

ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

ख़रीफ़ : इस से मुराद मौसिमे गर्मा की फ़स्लें हैं जिन की काश्त मौसिमे गर्मा के आगाज़ में मार्च ता जून जब कि कटाई मौसिमे गर्मा के इख़िताम और ख़र्जां में अगस्त ता नवम्बर होती है।

ख़रीफ़ की अहम फ़स्लें :

कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई, कमाद (या'नी गन्ना) और सूरज मुखी ख़रीफ़ की अहम फ़स्लें हैं दालों में दाल मूंग, दाल माश और लोबिया ख़रीफ़ में काश्त होती हैं।

सब्ज़ियां: गर्मियों में कहु शरीफ़, टींडा (टिन्डा), करेला, भीन्डी तूरी, आलू, टमाटर, घिया तूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी शामिल हैं।

फल : मौसिमे गर्मा में ख़रबूज़ा, तरबूज़, आम, फ़ालसा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ूबानी, आडू, खज़ूर, आलू बुख़ारा, गर्मा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा शामिल हैं।

रबीअ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

रबीअ : इस से मुराद मौसिमे सर्मा की फ़स्लें हैं जिन की काश्त मौसिमे सर्मा के आगाज़ में अक्टूबर से दिसम्बर तक होती है और कटाई मौसिमे सर्मा के इख़िताम और मौसिमे बहार में जनवरी ता अप्रैल होती है।

रबीअ की अहम फ़स्लें :

रबीअ की अहम फ़स्लों में गन्दुम, चना, जव, बरसीम, तोरिया, राई, सरसों और लूसन हैं दालों में मसूर की दाल रबीअ की अहम फ़स्ल है।

सब्ज़ियां : फूल गोभी, बन्द गोभी, शलगुम, गाजर, चुकन्दर, मटर, पियाज, लहसन, मूली, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ किस्म के साग और मेथी शामिल हैं।

फल : रबीअ के फलों में माल्टा, लोकाट, बेर, अमरूद, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, आमलोक (जापानी फल), संगतरा, पपीता, और नारियल शामिल हैं। उ़मूमन शहद भी रबीअ की फ़स्ल के साथ ही हासिल किया जाता है।

दा 'वते इस्लामी के साथ तअ़ावुन कीजिये

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ تब्लीगे कुरआनो सुन्नत की अ़ालमगीर ग़ैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी 107 से ज़ियादा शो'बाजात में मदनी काम कर रही है। बराए करम ! अपनी ज़कात उ़श्र और सदकात व ख़ैरात दा'वते इस्लामी को देने के साथ साथ अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों पर भी इन्फ़रादी कोशिश फ़रमा कर उन के ज़कात व उ़श्र और दीगर अ़तिव्यात दा'वते इस्लामी के मदनी मर्कज़ पर पहुंचा कर या किसी ज़िम्मेदार इस्लामी भाई को दे कर या मदनी मर्कज़ पर फ़ोन कर के किसी इस्लामी भाई को त़लब फ़रमा कर उन्हें इनायत फ़रमा दीजिये। **اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ** आप का सीना मदीना बनाए।

फ़ैज़ाने मदीना

त्री कोनिया बगीचे के पास, मिरज़ापूर,

अहमदआबाद-1, गुजरात

Mo. 84696 05565 www.dawateisalmi.net

दा 'वते इस्लामी की इल्कियां

- (1) **200 ममालिक** : الْحَدِيثُ لِلَّهِ ﷺ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक "दा 'वते इस्लामी" ता दमे तहरीर दुन्या के तकरीबन 200 ममालिक में अपना पैगाम पहुंचा चुकी है और आगे कूच जारी है ।
- (2) **तब्लीग** : लाखों बे अमल मुसल्मान, नमाजी और सुन्नतों के आदी बन चुके हैं ।
- (3) **मदनी काफिले** : आशिकाने रसूल के सुन्नतों की तरबियत के बे शुमार मदनी काफिले मुल्क ब मुल्क, शहर ब शहर और करिया ब करिया सफर कर के इल्मे दीन और सुन्नतों की बहारें लुटा रहे हैं और नेकी की दा'वत की धूमें मचा रहे हैं ।
- (4) **मदनी तरबियत गाहें** : मुतअद्द मकामात पर मदनी तरबियत गाहें काइम हैं जिन में दूरो नज़्दीक से इस्लामी भाई आ कर कियाम करते आशिकाने रसूल की सोहबत में सुन्नतों की तरबियत पाते और फिर कुर्बो जवार में जा कर "नेकी की दा 'वत" के मदनी फूल महकाते हैं ।
- (5) **मसाजिद की ता 'मीर** : के लिये मजलिसे खुद्दामुल मसाजिद काइम है, मुतअद्द मसाजिद की ता'मीरात का हर वक़्त सिल्सिला रहता है, कई शहरों में "मदनी मर्कज़ फैज़ाने मदीना" की ता'मीरात का काम भी जारी है ।
- (6) **आइम्मए मसाजिद** : बे शुमार मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िनीन और खादिमीन के मुशाहरे (तन ख़्वाहों) की अदाएगी का भी सिल्सिला है ।
- (7) **गूंगे, बहरे और नाबीना** : इन के अन्दर भी मदनी काम हो रहा है और इन के मदनी काफिले भी सफर करते रहते हैं ।
- (8) **जेलख़ाने** : कैदियों की ता'लीमो तरबियत के लिये जेलख़ानों में भी मदनी काम की तरकीब है । कई डाकू और जराइम पेशा अपराद जेल

के अन्दर होने वाले मदनी कामों से मुतअस्सिर हो कर ताइब होने के बा'द रिहाई पा कर आशिकाने रसूल के साथ मदनी काफ़िलों के मुसाफ़िर बनने और सुन्नतों भरी जिन्दगी गुज़ारने की सआदत पा रहे हैं, आतिशीं अस्लहे के ज़रीए अन्धा धुन्द गोलियां बरसाने वाले अब सुन्नतों के मदनी फूल बरसा रहे हैं! मुबल्लिगीन की इन्फ़रादी कोशिशों के बाइस कुफ़र क़ैदी भी मुशर्रफ़ ब इस्लाम हो रहे हैं।

(9) इज्तिमाई ए'तिकाफ़ : दुन्या की बे शुमार मसाजिद में माहे रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अशरह में इज्तिमाई ए'तिकाफ़ का एहतियाम किया जाता है। इन में इस्लामी भाई इल्मे दीन हासिल करते, सुन्नतों की तरबियत पाते हैं नीज़ कई मो'तकिफ़ीन चांदरात ही से आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफ़िलों के मुसाफ़िर बन जाते हैं।

(10) हज के बा'द सब से बड़ा इज्तिमाअ : दुन्या के मुख़लिफ़ ममालिक में हज़ारों मक़ामात पर होने वाले हफ़तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआत के इलावा आलमी और सूबाई सत्ह पर भी सुन्नतों भरे इज्तिमाआत होते हैं। जिन में हज़ारों, लाखों आशिकाने रसूल शिर्कत करते हैं और इज्तिमाअ के बा'द खुश नसीब इस्लामी भाई सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफ़िलों के मुसाफ़िर भी बनते हैं। मदीनतुल औलिया मुलतान शरीफ़ में वाकेअ सह्राए मदीना के कसीर रक्बे पर हर साल तीन दिन का बैनल अक्वामी सुन्नतों भरा इज्तिमाअ होता है। जिस में दुन्या के कई ममालिक से मदनी काफ़िले शिर्कत करते हैं। **बिला शुबा येह हज के बा'द मुसल्मानों का सब से बड़ा इज्तिमाअ होता है।** सह्राए मदीना मदीनतुल औलिया मुलतान और सह्राए मदीना बाबुल मदीना का कसीर रक्बा दा'वते इस्लामी की मिल्कियत है।

(11) इस्लामी बहनों में मदनी इन्क़िलाब : इस्लामी बहनों के भी शरई पर्दे के साथ मुतअद्द मक़ामात पर हफ़तावार इज्तिमाआत होते हैं। ला ता'दाद बे अमल इस्लामी बहनें बा अमल, नमाज़ी और मदनी बुर्क़ाओं की पाबन्द बन चुकी हैं। दुन्या के मुख़्तलिफ़ ममालिक में अक्सर घरों के अन्दर इन के तक़ीबन रोज़ाना हज़ारों मदारिस बनाम मद्रसतुल मदीना (बराए बालिगात) भी लगाए जाते हैं, एक अन्दाज़े के मुताबिक़ फ़क़त (बाबुल मदीना) में इस्लामी बहनों के दो हज़ार मद्रसे तक़ीबन रोज़ाना लगते हैं जिन में इस्लामी बहनें कुरआने पाक, नमाज़ और सुन्नतों की मुफ़्त ता'लीम पातीं और दुआएं याद करती हैं।

(12) मदनी इन्आमात : इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों और तुलबा को फ़राइज़ व वाजिबात, सुनन व मुस्तहब्बात और अख़्लाक़िय्यात का पाबन्द बनाने और मोहलिकात (या'नी गुनाहों) से बचाने के लिये **मदनी इन्आमात** की सूरत में एक निज़ामे अमल दिया गया है। बे शुमार इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें और तुलबा मदनी इन्आमात के मुताबिक़ अमल कर के रोज़ाना सोने से क़ब्ल "फ़िक़े मदीना" या'नी अपने आ'माल का जाएज़ा ले कर कार्ड या पौकिट साइज़ रिसाले में दिये गए ख़ाने पुर करते हैं।

(13) मदनी मुज़ाकरात : बसा अवक़ात मदनी मुज़ाकरात के इज्तिमाआत का इन्ड़काद भी होता है जिस में अक़ाइदो आ'माल, शरीअतो तरीक़त तारीख़ो सीरत, तिबाबत व रूहानिय्यत वग़ैरा मुख़्तलिफ़ मौजूआत पर पूछे गए सुवालात के जवाबात दिये जाते हैं। (येह जवाबात खुद अमीरे अहले सुन्नत مَدَّةُ الْعَالِي इर्शाद फ़रमाते हैं। मजलिसे मक्तबतुल मदीना)

(14) रूहानी इलाज और इस्तिख़ारा : दुख्यारे मुसल्मानों का ता'वीज़ात

के जरीए फ़ी सबीलिल्लाह इलाज किया जाता है नीज़ इस्तिख़ारा करने का सिल्लिसला भी है। रोज़ाना हज़ारों मुसलमान इस से मुस्तफ़ीज़ होते हैं।

(15) हुज्जाज की तरबियत : हज़ के मौसिमे बहार में हाजी केम्पों में मुबल्लिगीने दा'वते इस्लामी हाजियों की तरबियत करते हैं। हज़ व ज़ियारते मदीनए मुनव्वरह में रहनुमाई के लिये मदीने के मुसाफ़ि़रों को हज़ की किताबें भी मुफ़्त पेश की जाती हैं।

(16) ता'लीमी इदारे : ता'लीमी इदारों मसलन दीनी मदारिस, स्कूलज़, कोलिजिज़ और यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा व तुलबा को मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सुन्नतों से रू शनास करवाने के लिये भी मदनी काम हो रहा है। बे शुमार तुलबा सुन्नतों भरे इज्तिमाआत में शिर्कत करते हैं नीज़ मदनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़ि़र भी बनते रहते हैं। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ मुतअद्द दुन्यवी उलूम के दिलदादा बे अमल तुलबा, नमाज़ी और सुन्नतों के आदी हो गए।

(17,18) जामिअतुल मदीना : कसीर जामिआत बनाम “जामिअतुल मदीना” काइम हैं इन के जरीए ला ता'दाद इस्लामी भाइयों को (हस्बे ज़रूरत क़ियाम व तआम की सहूलतों के साथ) दर्से निज़ामी (या'नी अलिम कोर्स) और इस्लामी बहनों को आलिमा कोर्स की मुफ़्त ता'लीम दी जाती है। दर्से निज़ामी से फ़ारिगुत्तहसील होने वालों को तख़स्सुस फ़िल फ़िक्ह (मुफ़्ती कोर्स) भी करवाया जाता है। अहले सुन्नत के मदारिस के मुल्क गीर इदारे तन्ज़ीमुल मदारिस की जानिब से लिये जाने वाले इम्तिहानात में बरसों से तक़ीबन हर साल “दा'वते इस्लामी” के जामिआत के तुलबा और तालिबात मुल्के मुर्शिद में नुमायां काम्याबी हासिल कर के बसा अवक़ात अव्वल, दुवुम और सिवुम पोज़ीशन हासिल करते हैं।

(19) मद्रसतुल मदीना : अन्दरूने व बैरूने मुल्क हिफ़्ज़ो नाज़िरा के ला ता'दाद मदारिस बनाम “मद्रसतुल मदीना” काइम हैं। मुल्के मुर्शिद में ता दमे तहरीर कम्पो बेश 42000 (बयालीस हज़ार) मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों को हिफ़्ज़ो नाज़िरा की मुफ़्त ता'लीम दी जा रही है।

(20) मद्रसतुल मदीना (बालिग़ान) : इसी तरह मुख़्तलिफ़ मसाजिद वगैरा में उमूमन बा'द नमाज़े इशा हज़ारहा मद्रसतुल मदीना की तरकीब होती है जिन में इस्लामी भाई सहीह मख़ारिज से हुरूफ़ की दुरुस्त अदाएगी के साथ कुरआने करीम सीखते और दुआएं याद करते, नमाज़ें वगैरा दुरुस्त करते और सुन्नतों की मुफ़्त ता'लीम हासिल करते हैं।

(21) शिफ़ाख़ाने : महदूद पैमाने पर शिफ़ाख़ाने भी काइम हैं जहां बीमार तुलबा और मदनी अमले का मुफ़्त इलाज किया जाता है। ज़रूरतन दाख़िल भी करते हैं नीज़ हस्बे ज़रूरत बड़े अस्पतालों के ज़रीए भी इलाज की तरकीब बनाई जाती है।

(22) तख़स्सुस फ़िल फ़िक्ह : या'नी “मुफ़्ती कोर्स” का भी सिल्लिसला है जिस में मुतअद्दद उलमाए किराम इफ़्ता की तरबियत पा रहे हैं।

(23) दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत: मुसल्मानों के शरई मसाइल के हल के लिये मुतअद्दद “दारुल इफ़्ता” काइम किये गए हैं जहां दा'वते इस्लामी के मुबल्लिग़ीन मुफ़्तियाने किराम, बिल मुशाफ़ा, तहरीरी और मक्तूबात के ज़रीए शरई मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। अक्सर फ़तावा कम्प्यूटर पर कम्पोज़ कर के दिये जाते हैं।

(24) इन्टरनेट: इन्टरनेट की वेब साइट www.dawateislami.net के ज़रीए दुन्या भर में इस्लाम का पैग़ाम आम किया जा रहा है।

(25) ASK THE IMAM : दा'वते इस्लामी की website में ASK THE IMAM पर दुन्या भर के मुसल्मानों की तरफ़ से पूछे जाने वाले

मसाइल का हल बताया जाता है ।

(26,27) मक्तबतुल मदीना और अल मदीनतुल इल्मिया : इन दोनों इदारों के जरीए सरकारे आ'ला हजरत और दीगर उलमाए अहले सुन्नत की किताबें जेवरे तब्अ से आरास्ता हो कर लाखों लाख की ता'दाद में अ़वाम के हाथों में पहुंच कर सुन्नतों के फूल खिला रही हैं । **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** । दा'वते इस्लामी ने अपना प्रेस भी काइम कर लिया है । नीज़ सुन्नतों भरे बयानात और मदनी मुज़ाकरात की लाखों केसिटें भी दुन्या भर में पहुंची और पहुंच रही हैं ।

(28) मजलिसे तफ़तीशे कुतुबो रसाइल : ग़ैर मोहतात कुतुब छापने के सबब उम्मते मुस्लिमा में फैलने वाली गुमराही और होने वाले गुनाहे जारिया के सद्दे बाब के लिये “मजलिसे तफ़तीशे कुतुबो रसाइल” काइम है जो मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन की कुतुब को अ़काइद, कुफ़्रिय्यात, अख़्लाकिय्यात, अरबी इबारात और फ़िक्ही मसाइल के हवाले से मुलाहज़ा कर के सनद जारी करती है ।

(29) मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ : मुबल्लिगीन की तरबियत के लिये मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ का एहतियाम किया गया है मसलन 41 दिन का मदनी काफ़िला कोर्स, 63 दिन का तरबियती कोर्स, गूंगे बहरों के लिये 30 दिन का तरबियती कोर्स, इमामत कोर्स और मुदरिस कोर्स वग़ैरहुम ।

(30) फ़ैज़ाने कुरआनो सुन्नत कोर्स : स्कूल, कोलिज और यूनीवर्सिटी के तुलबा, असातिज़ा और स्टाफ़ को ज़रूरिय्याते दीन से रू शनास करवाने के लिये अपनी नौइय्यत का मुन्फ़रिद “फ़ैज़ाने कुरआनो सुन्नत कोर्स” भी शुरूअ किया गया है, इस्लामी बहनों में भी येह कोर्स जारी है ।

مآخذ ومراجع

ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور

دارالکتب العلمیہ بیروت

دار ابن حزم بیروت

کتب خانہ رشیدیہ دہلی

دارالکتب العلمیہ

دار المعرفہ بیروت

دار المعرفہ بیروت

دارالکتب بیروت

دارالفکر بیروت

کوئٹہ

پشاور

کوئٹہ

ملتان

رضا فاؤنڈیشن لاہور

شبیر برادرز لاہور

مکتبہ رضویہ باب المدینہ

دارالفکر بیروت

قرآن مجید ترجمہ کنز الایمان

صحیح البخاری

صحیح مسلم

مرا سیل ابی داؤد مع ابی داؤد

المعجم الاوسط

در مختار مع رد المختار

رد المختار

کنز العمال

فردوس الاخبار

الفتاویٰ الھندیہ

الفتاویٰ الحانیہ

البحر الرائق

انھر الفائق

فتاویٰ رضویہ

الفتاویٰ المصطفویہ

بہار شریعت

بدائع الصنائع

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या की तरफ़ से पेशकर्दा क़ाबिले मुतालाआ कुतुब

﴿शो 'बए इस्लाही कुतुब﴾

- (01) गौसे पाक رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ के हालात
- (02) तकब्बुर
- (03) 40 फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
- (04) बद गुमानी (05) क़ब्र में आने वाला दोस्त
- (06) नूर का खिलोना
- (07) आ'ला हज़रत की इन्फ़रादी कोशिशें
- (08) फ़िक्रे मदीना
- (09) इम्तिहान की तय्यारी कैसे करें ?
- (10) रियाकारी
- (11) क़ौमे जिन्नात और अमीरे अहले सुन्नत
- (12) उ़शर के अहकाम
- (13) तौबा की रिवायात व हिक़ायात
- (14) फ़ैज़ाने ज़कात
- (15) अहादीसे मुबारका के अन्वार
- (16) तरबिय्यते औलाद
- (17) काम्याब त़ालिबे इल्म कौन ?
- (18) टीवी और मूवी
- (19) त़लाक़ के आसान मसाइल
- (20) मुफ़ितये दा'वते इस्लामी
- (21) फ़ैज़ाने चेहल अहादीस
- (22) शर्हे शजरए क़ादिरिय्या
- (23) नमाज़ में लुक्मा देने के मसाइल
- (24) ख़ौफ़े खुदा
- (25) तआरुफ़े अमीरे अहले सुन्नत
- (26) इन्फ़रादी कोशिश
- (27) आयाते कुरआनी के अन्वार
- (28) नेक बनने और बनाने के तरीके
- (29) फ़ैज़ाने एहयाउल उ़लूम
- (30) ज़ियाए सदक़ात

शो 'बए तरबीज

- (1) सहाबए किराम رَضَوَانُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ का इशके रसूल
- (2) बहारे शरीअत, जिल्द अव्वल (हिस्साए अव्वल ता शशुम)
- (3) बहारे शरीअत, जिल्द दुवुम (हिस्सा 7 ता 13)
- (4) उम्महातुल मुअमिनीन رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ
- (5) अजाइबुल कुरआन मअ गुराइबुल कुरआन
- (6) गुलदस्ताए अकाइदो आ'माल
- (7) बहारे शरीअत (सोलहवां हिस्सा)
- (08) तहकीकात
- (09) अच्छे माहोल की बरकतें
- (10) जन्नती ज़ेवर
- (11) इल्मुल कुरआन
- (12) सवानेहे करबला
- (13) अरबईने हनफिय्या
- (14) किताबुल अकाइद
- (15) मुन्तख़ब हदीसें
- (16) इस्लामी जिन्दगी
- (17) आईनए कियामत
- (18 ता 24) फ़तावा अहले सुन्नत (सात हिस्से)
- (25) हक़ व बातिल का फ़र्क
- (26) बिहिश्त की कुन्जियां
- (27) जहन्नम के ख़तरात
- (28) करामाते सहाबा
- (29) अख़्लाके सालिहीन
- (30) सीरते मुस्तफ़ा
- (31) आईनए इब्रत
- (32) बहारे शरीअत, जिल्द सिवुम
- (33) जन्नत के तलबगारों के लिये मदनी गुलदस्ता
- (34) फ़ैज़ाने नमाज़
- (35) 19 दुरूदो सलाम
- (36) फ़तावा अहले सुन्नत (आठवां हिस्सा)
- (37) फ़ैज़ाने यासीन शरीफ़ मअ दुआए निस्फ़े शा'बानुल मुअज़्ज़म

शो 'बाए तराजिमे कुतुब

- (1) अल्लाह वालों की बातें (جلية الأولياء وطققات الأصفياء) पहली जिल्द
- (2) नेकी की दा'वत के फ़ज़ाइल (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
- (3) मदनी आका के रोशन फैसले (الباهر في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالباطن والظاهر)
- (4) सायए अर्श किस किस को मिलेगा ? (تمهيد القرش في الحصول الموجه لطل القرش)
- (5) नेकियों की जज़ाएं और गुनाहों की सज़ाएं (قرة العيون ومفرح القلب المحزون)
- (6) नसीहतों के मदनी फूल ब वसीलए अहादीसे रसूल (المواعظ في الأحاديث القدسية)
- (7) जन्नत में ले जाने वाले आ'माल (المتجر الرابع في ثواب العمل الصالح)
- (8) इमामे आ'ज़म عليه رَحْمَةُ اللهِ الْأَكْرَم की वसियतें (وصايا إمام أعظم عليه الرحمة)
- (9) जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल (जिल्द अव्वल) (الزواجر عن أئيراف الكبائر)
- (10) जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल (जिल्द दुवुम) (الزواجر عن أئيراف الكبائر)
- (11) फ़ैज़ाने मज़ारते औलिया (كشف النور عن أصحاب القبور)
- (12) दुन्या से बे रगबती और उम्मीदों की कमी (الزهد وقصر الأمل)
- (13) राहे इल्म (تعليم المتعلم طريق التعلم)
- (14) उयूनल हिकायात (मुतर्जम, हिस्सए अव्वल)
- (15) उयूनल हिकायात (मुतर्जम, हिस्सए दुवुम)
- (16) एहयाउल उलूम का खुलासा (أبواب الأحياء)
- (17) हिकायतें और नसीहतें (الروض الفائق)
- (18) अच्छे बुरे अमल (رسالة المذاكرة)
- (19) शुक्र के फ़ज़ाइल (الشكر لله عز وجل)
- (20) हुस्ने अख़्लाक (مكارم الأخلاق)
- (21) आंसूओं का दरिया (بحر الدموع)
- (22) आदाबे दीन (الأدب في الدين)
- (23) शाहराहे औलिया (منهاج العارفين)
- (24) बेटे को नसीहत (أيها الولد)
- (25) दू'आए अली अल्लु (الدعوة إلى الفکر)
- (26) इस्लाहे आ'माल (ألحديثة الندية شرح طريقة المحمدية)
- (27) आशिकाने हदीस की हिकायात (ألحله في طلب الحديث)
- (28) एहयाउल उलूम मुतर्जम (जिल्द अव्वल) (أحياء علوم الدين)
- (29) कूतुल कुलूब मुतर्जम (जिल्द अव्वल)